न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर, झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती अंजू कुमारी, *R.J.S.*

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः– 73/2017 [C.I.S.No.:– 73/2017]

CNR No.:– RJJW110001152017

राजस्थान राज्य .....**अभियोगी**

ब ना म

कौशल कुमार आत्मज लक्ष्मीनारायण उम्र 39 वर्ष, निवासी– कलमण्डा, पुलिस थाना कोतवाली बारां, जिला बारां (राज.)

.....**अभियुक्त**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 11/2017 पुलिस थाना खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः–

1. राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ।
2. श्री शिवनारायण नागर, विद्वान अधिवक्ता, परिवादिया की ओर से।
3. श्री बनवारी लाल मेहर, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 06–06–2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादिया श्रीमती भूली बाई पत्नी कौशल पुत्री रामदयाल ने इस न्यायालय में एक इस्तगासा अंतर्गत धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. इस आशय का पेश किया कि परिवादिया का विवाह करीब 7 वर्ष पूर्व मुलजिम कौशल के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार ग्राम बन्या तहसील खानपुर के सम्मेलन में संपन्न हुआ था। उसके बाद फरियादिया उसके ससुराल ग्राम कलमण्डा गई तथा पत्नी धर्म का पालन करती रही। फरियादिया के घरवालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक एक पलंग, अलमारी, घर–गृहस्थी के सामान बर्तन वगै. तथा एक सोने की चेन, अंगुठी तथा 10,000/– रूपये नकद, सभी सामान मुलजिम को संभलाये थे, जो आज भी उन्हीं के पास है। फरियादिया का पति कौशल शराब पीने का आदी है तथा रोज शराब पीकर फरियादिया के साथ मारपीट करता था तथा फरियादिया के साथ मारपीट कर फरियादिया से 40,000/– रूपये किराने की दुकान लगाने के लिये मांगता था। मुलजिमान मिलकर फरियादिया को दुकान के लिये 40,000/– रूपये के लिये परेशान व प्रताडित करते थे। मुलजिमान का व्यवहार फरियादिया के प्रति दिनों दिन और अधिक क्रूरतापूर्ण होता गया तथा आये दिन मुलजिम कौशल फरियादिया के साथ मारपीट करता और 40,000/– रूपये उसके घरवालों से लाकर देने को कहता। फरियादिया के मना करने पर उसके साथ मारपीट करता तथा एक दिन फरियादिया के साथ मुलजिम ने शराब पीकर काफी मारपीट की और एक जोडी कपडों में उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। जब से ही फरियादिया अपने पीहर ग्राम ढीकरिया में रह रही है। करीबन 10 दिन पूर्व मुलजिम कौशल व उसके घरवाले सास, ससुर व देवर किसी कार्यक्रम में ग्राम ढीकरिया थाना खानपुर आये थे। उन्होंने फरियादिया व उसके घरवालों से कहा कि 40,000/– रूपये की व्यवस्था कर ली हो, उनके लडके को दुकान खोलनी है तो वे फरियादिया को ले जाने को तैयार है। फरियादिया व उसके घरवालों के मना करने पर उपरोक्त सभी मुलजिमान गाली गलौच कर यह

कहकर चले गये कि जिदंगी भर उनकी लडकी को लेकर नहीं जावेंगे, उनका रिश्ता खत्म करते है .....इत्यादि। उक्त इस्तगासे के आधार पर पुलिस थाना खानपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11/2017 अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया तथा बाद अनुसंधान मुलजिम कौशल कुमार के विरूद्ध धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

2. पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त कौशल कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध को सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन की ओर से साक्ष्य अभियोजन में मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.01 भूली बाई, पी.ड.02 महावीर, पी.ड.03 सत्यनारायण व पी.ड.04 बजरंगलाल के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासा अंतर्गत धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. प्रदर्श पी–1, शपथ पत्र परिवादिया प्रदर्श पी–2, पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह भूली बाई प्रदर्श पी–3, पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह महावीर प्रदर्श पी–4, पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह सत्यनारायण प्रदर्श पी–5 व पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. गवाह बजरंगलाल प्रदर्श पी–6 को प्रदर्शित करवाया गया है।

5. अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुये झूंठ बोलने, निर्दोष होकर झूंठा फंसाने का कथन किया। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त कौशल कुमार को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दंडादिष्ट किया जावे।

7. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों से यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने दहेज की मांग की हो और परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो, जिससे अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए भा.द.स. का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। परिवादिया एवं अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो चुका है। धारा 498ए भा.द.स. काबिले राजीनामा नहीं होने से राजीनामा नहीं हो पाया है। स्वयं परिवादिया पी.ड.01 भूली बाई व गवाह पी.ड.02 महावीर, पी.ड.03 सत्यनारायण, पी.ड.04 बजरंगलाल न्यायालय में पक्षद्रोही रहे हैं। अतः अभियुक्त कौशल कुमार को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. उभय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

(1) " क्या अभियुक्त ने दिनांक 18–11–2016 से करीब सात वर्ष पूर्व ग्राम बन्या के सम्मेलन में परिवादिया भूली बाई के साथ विवाह होने के उपरांत मौजा कलमण्डा में परिवादिया का पति होते हुये परिवादिया से दुकान लगाने के लिये दहेज में 40,000/– रूपये की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं मारपीट कर घर से निकाल दिया ? "

(2) यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय है?

9. अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त विचारणीय बिन्दु बाबत कुल 04 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। गवाह पी.ड.01 भूली बाई, जो प्रकरण में परिवादिया/रिपोर्टकर्ता होकर महत्वपूर्ण गवाह है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसकी शादी दस पन्द्रह साल पहले कौशल निवासी कलमंडा के साथ हिन्दू रितीरिवाजों के साथ बन्या के सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी। शादी के समय ही गौना दिया था और ससुराल आती–जाती कर दी थी। शादी के समय खाने–पीने के बरतन व गृहस्थी के सामान आदि दिए थे। उसका पति शराब पीकर आता था और उससे 40 हजार रूपए मांगता था। उसने चालीस हजार रूपए नहीं दिए तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया। जिसकी उसने अदालत में कार्यवाही की थी। परिवाद प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। शपथ पत्र प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। न्यायालय द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसका पति शराब पीता हो। यह कहना गलत है कि उसका पति किराने की दुकान के लिए उससे चालीस हजार रूपए मांगता हो। यह कहना गलत है कि चालीस हजार रूपए नहीं दिए तो उसके साथ मारपीट कर उसे परेशान करता हो। वह दो साल के करीबन उसके ससुराल में रही थी। दो साल के बाद वह अपने गांव में आ गई थी। यह कहना सही है कि वह उसके बाद उसके मम्मी पापा के पास रही। यह कहना सही है कि पुलिस ने उसके बयान लिए थे। यह कहना गलत है कि उसने पुलिस बयान में उसके पति द्वारा पांच लाख रूपए की मांग कर मारपीट करने वाली बात लिखाई हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी–3 का ए से बी व सी से डी भाग पढा गया गवाह ने सुना जानकारी के अभाव में गलत होना बताया। यह कहना सही है कि उसके व उसके पति के बीच राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने से वह झूठे बयान दे रही है।

10. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाने के पश्चात भी इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

11. गवाह पी.ड.02 महावीर, जो कि परिवादिया भूली बाई का भाई है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि भूली बाई उसकी बहन है जिसकी शादी करीबन दस पन्द्रह साल पहले कौशल निवासी कलमंडा के साथ बन्या के सम्मेलन से हुई थी। शादी के समय ही गौना दिया था। ससुराल आती–जाती कर दी थी। शादी में कुछ भी सामान नहीं दिया। दोनों पति–पत्नी के बीच किस बात को लेकर झगडा हुआ उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने

किसी प्रकार की मांग नहीं की। उसे किसी प्रकार की घटना की जानकारी नहीं है। न्यायालय द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि भूली बाई दो साल तक उसके ससुराल में रही थी। यह कहना गलत है कि कौशल भूलीबाई से पांच लाख रूपए की मांग करता हो। यह कहना गलत है कि पांच लाख की मांग नहीं की तो उसकी बहिन को घर से बाहर निकाल दिया हो। यह कहना सही है कि उसकी बहन व उसके पति के बीच राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि वह राजीनामा होने की वजह आज झूठे बयान दे रहा है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–4 का ए से बी व सी से डी भाग पढा गया गवाह ने सुना जानकारी के अभाव में गलत होना बताया।

12. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाने के पश्चात भी इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

13. गवाह पी.ड.03 सत्यनारायण ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह कौशल कुमार को जानता है। कौशल कुमार उसका पडोसी है। कौशल कुमार की शादी ठीकरिया में करीबन पन्द्रह साल पहले हुई थी। किसके साथ शादी हुई थी, उसे जानकारी नहीं है। गौना कब दिया था। उसकी जानकारी में नहीं है। वह शादी में गया था। लडकी के पिता ने शादी के समय क्या–क्या सामान दिया था, उसे जानकारी नहीं है। दोनों के बीच क्या बात हुई, उसकी जानकारी में नहीं है। उसके सामने किसी प्रकार की मांग नहीं की। न्यायालय द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि कौशल की शादी धाकड सामूहिक सम्मेलन बन्या से हुई हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। कौशल कुमार की पत्नी का नाम भूरी बाई हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। भूरी बाई के घरवालो ने गौना के समय सोने की चेन, पलंग, अलमारी, खाने खाने व बनाने के बर्तन आदि दिए हो तो उसे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि कौशल कुमार उसकी पत्नी भूरी बाई से दहेज में पांच लाख रूपए की मांग करता हो। यह कहना गलत है कि पांच लाख रूपए की मांग पूरी नहीं की तो कौशल कुमार ने भूरी बाई के साथ मारपीट कर शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताडित किया हो। यह कहना गलत है कि पुलिस ने उसके बयान लिए हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 का ए से बी व सी से डी भाग पढा गया गवाह ने सुना जानकारी के अभाव में गलत होना बताया। यह कहना गलत है कि मुलजिम उसका पडोसी होने से वह उसे बचाने के लिए आज अदालत में झूठे बयान दे रहा हो।

14. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाने के पश्चात भी इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

15. गवाह पी.ड.04 बजरंगलाल ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि भूली बाई उसकी भतीजी लगती है। भूलीबाई की शादी आज से 8–10 साल पहले कौशल निवासी कलमंडा के साथ हुई थी। भूली बाई को उसके घरवालों ने शादी में कपडे लत्ते दिये थे। शादी में वह भी गया था। रामदयाल की मृत्यु शादी के बाद हो गयी थी। भूलीबाई का पति उसे दहेज के लिये परेशान करता हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। न्यायालय द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि पुलिस वालों ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 का ए से बी भाग गवाह को पढकर सुनाया जो जानकारी के अभाव में गलत होना बताया। यह कहना गलत है कि भूली बाई

व उसके भाई महावीर ने बताया हो कि कौशल भूली बाई को दहेज के लिये परेशान करता है। वह कौशल को जवाई होने से जानता है।

16. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि उसके सामने कौशल ने कभी भूली बाई से दहेज की मांग नहीं की और न ही मारपीट कर उसे घर से भगाया।

17. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार था कि अभियुक्त ने दिनांक 18–11–2016 से करीब सात वर्ष पूर्व ग्राम बन्या के सम्मेलन में परिवादिया भूली बाई के साथ विवाह होने के उपरांत मौजा कलमण्डा में परिवादिया का पति होते हुये परिवादिया से दुकान लगाने के लिये दहेज में 40,000/– रूपये की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं मारपीट कर घर से निकाल दिया।

18. उक्त आरोप के संबंध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो परिवादिया भूली बाई ने अपने परिवाद प्रदर्श पी–1 में अभियुक्त के द्वारा किराने की दुकान खोलने के लिये परिवादिया से चालीस हजार रूपये मांगने व परिवादिया के साथ गाली गलौच कर व मारपीट कर परिवादिया को घर से बाहर निकालना अंकित किया है। परिवादिया पी.ड.01 भूली बाई की न्यायालय में हुये मुख्य परीक्षण की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो परिवादिया ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दी है कि उसका पति उससे चालीस हजार रूपये मांगता था उसने चालीस हजार रूपये नहीं दिये तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया। जिससे यह गवाह न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुई है तथा सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसका पति किराने की दुकान के लिये उससे चालीस हजार रूपये मांगता हो। यह कहना भी गलत बताया है कि चालीस हजार रूपये नहीं दिये तो उसके साथ मारपीट कर उसे परेशान करता हो। तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी–3 का ए से बी व सी से डी भाग जानकारी के अभाव में गलत होना बताया है एवं इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसके व उसके पति के बीच राजीनामा हो गया है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.02 महावीर, जो कि परिवादिया का भाई है, ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है जिससे उक्त गवाह भी प्रकरण में पक्षद्रोही रहा है तथा सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को गलत बताया है कि कौशल भूली बाई से पांच लाख रूपये की मांग करता हो। साथ ही पुलिस बयान प्रदर्श पी–4 का ए से बी व सी से डी भाग जानकारी के अभाव में गलत होना बताया। इसके अतिरिक्त अन्य गवाह पी.ड.03 सत्यनारायण व पी.ड.04 बजरंगलाल ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है। जिससे उक्त दोनों ही गवाह न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुये हैं तथा सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाहान ने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–5 व प्रदर्श पी–6 का ए से बी व सी से डी भाग जानकारी के अभाव में गलत होना बताया है।

19. परिवादिया पी.ड.01 भूली बाई ने अपने इस्तगासे प्रदर्श पी–1 की किंचित मात्र भी ताईद अपने मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण में नहीं की है। परिवादिया पी.ड.01 भूली बाई व उसका

भाई पी.ड.02 महावीर न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं उक्त गवाहान के द्वारा भी इस्तगासा प्रदर्श पी–1 की किंचित मात्र भी ताईद नहीं की है।

20. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन और विश्लेषण से अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 18–11–2016 से करीब सात वर्ष पूर्व ग्राम बन्या के सम्मेलन में परिवादिया भूली बाई के साथ विवाह होने के उपरांत मौजा कलमण्डा में परिवादिया का पति होते हुये परिवादिया से दुकान लगाने के लिये दहेज में 40,000/– रूपये की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिससे अभियुक्त कौशल कुमार को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

21. अतः अभियुक्त कौशल कुमार आत्मज लक्ष्मीनारायण उम्र 39 वर्ष, निवासी– कलमण्डा, पुलिस थाना कोतवाली बारां, जिला बारां (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22. अभियुक्त के पूर्व के हाजरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

23. अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000/– रुपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे कि वह अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित हो जावेगा।

24. **धारा 357–A सीआर.पी.सी. के तहत प्रतिकरः–** पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में परिवादिया को धारा 357–A सी.आर.पी.सी. के तहत प्रतिकर दिलाये जाने बाबत् अनुशंषा करना न्यायोचित नहीं होता है। अतः प्रकरण में उक्त धारा के अधीन प्रतिकर बाबत अनुशंषा नहीं की जा रही है।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड, (राज.)

25. निर्णय आज दिनांक 06–06–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड, (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MANSI SONI
Steno Gr.III
"Authenticate document"
Digitally signed by MANSI SONI
Date: 2026.06.12 10:39:27 +0530

नोटः– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।